रजिस्टर्ड डाक द्वारा

फा.सं. 28(सी)/24/2011-एस.आर.(एस.)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

तृतीय तल, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-110003
दिनांक जनवरी, 2013

सेवा में,

मुख्य सचिव,
बिहार सरकार, पटना-800001।

मुख्य सचिव,
झारखण्ड सरकार, रांची-834001।

विषय: श्री कृष्णदेव प्रसाद, टंकक, गृह विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 19995/2010 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2011 से उत्पन्न अवमाननावाद संख्या 4287/2011।

महोदय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहना है कि भारत सरकार के आदेश संख्या 13 (झा)/2010 दिनांक 12/10/2010 द्वारा याचिकाकर्ता श्री कृष्णदेव प्रसाद, का अंतिम राज्य आवंटन टंकक संवर्ग में वेतनमान रु. 4000-6000 में पिछड़ा वर्ग में विकल्प तथा गृह राज्य के विरुद्ध कनिष्ठता क्रम में झारखण्ड राज्य में हुआ था। अपने झारखण्ड राज्य आवंटन से असंतुष्ट होकर श्री प्रसाद ने माननीय उच्च न्यायालय पटना में याचिका संख्या 19995/2010 दायर की थी। उक्त याचिका में पारित आदेश दिनांक 19.05.2011 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के राज्य पुनरावंटन के अभ्यावेदन पर विचारोपरान्त दो माह में निर्णय पारित करने का आदेश दिया था। इस संबंध में याचिकाकर्ता के द्वारा कोई अभ्यावेदन सीधे इस विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया था। भारत सरकार के अधिवक्ता द्वारा उपर्युक्त आदेश दिनांक 19.05.2011 की प्रति इस विभाग में दिनांक 04.10.2011 को प्राप्त हुई। न्यायादेश के अनुपालन में याचिककर्ता के प्रशासी विभाग से पत्र दिनांक 11.10.2011 द्वारा मन्तव्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

2. याचिकाकर्ता ने अपने अभ्यावेदन में निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:

(1) याचिकाकर्ता की नियुक्ति सामान्य जाति की रिक्ति के विरुद्ध हुई थी।
(2) याचिकाकर्ता ने राज्य आवंटन के समय बिहार राज्य आवंटन का विकल्प दिया था।
(3) याचिकाकर्ता को विकल्प बिहार के विरुद्ध सामान्य जाति के स्थान पर पिछड़ी जाति में झारखण्ड राज्य आवंटित कर दिया गया।
(4) याचिकाकर्ता ने वृद्ध माता की देखभाल और पारिवारिक समस्याओं का उल्लेख किया है।
(5) याचिकाकर्ता ने सामान्य वर्ग में बिहार राज्य आवंटन का अनुरोध किया है।

याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर उसके प्रशासी विभाग के मंतव्य के आलोक में राज्य परामर्शदातृ समिति, बिहार की बैठक दिनांक 09.07.2012 को विचार हुआ और समिति ने विचारोपरान्त याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार करने के अनुशंसा की। समिति की संस्तुति को अगले पृष्ठ पर दर्शाया गया है।

6. **सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या -19995/2010 कृष्णदेव प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में वादी के अभ्यावेदन पर समिति के विचार।**

(ii) याचिकाकर्ता श्री कृष्णदेव प्रसाद, टंकक, गृह विभाग से राज्य पुनरावंटन हेतु प्राप्त अभ्यावेदन पर समिति से द्वारा CWJC संख्या -19995/2010 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2011 को पारित आदेश के आलोक में विचार किया गया। यह पाया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या - 5381/07 में दिनांक-18/01/2009 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में उक्त वाद में याचिकाकर्ता श्री सुमन गुप्ता, सहायक (पिछड़ा वर्ग), जिनकी नियुक्ति सामान्य वर्ग में हुई थी, का पुनरावंटन उनको सामान्य वर्ग में मानकर स्वीकार किया जा चुका है।

याचिकाकर्ता का टंकक वर्ग में कोटि क्रमांक-32 है। सामान्य वर्ग में कनिष्ठतम टंकक यानि श्री शंभू प्रसाद सिन्हा, (कोटि क्रमांक-30) को विकल्प के अनुरूप बिहार राज्य आवंटन हुआ है। अतः याचिका कर्ता को सामान्य वर्ग का मानने पर भी राज्य आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतएव समिति ने श्री प्रसाद के झारखण्ड राज्य से बिहार राज्य परिवर्तन से अनुरोध को अस्वीकार करने की अनुशंसा की।

3. समिति की अनुशंसाओं को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है, उपरोक्त के आलोक में श्री कृष्णदेव प्रसाद, टंकक का अभ्यावेदन अस्वीकृत करते हुए उनका राज्य आवंटन यथावत झारखण्ड राज्य रखा जाता है।

भवदीय,

हस्ता॰/-

(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष-24624235

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सदस्य सचिव, राज्य परामर्शदातृ समिति, बिहार, सिंचाई आवास, बेली रोड, पटना, बिहार-800023।
2. उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार, पटना, बिहार-800023।
3. प्रधान सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार सरकार, सचिवालय, पटना, बिहार-800023।
4. श्री कृष्णदेव प्रसाद, टंकक द्वारा श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, एपी/डी-1, आज़ाद पथ, पी.एस. गरदनीबाग, पटना-800001।

(सारंगधर नायक)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष-24624235